P-1 R.M.M Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal | Subject - Hindu Marriage Act
Part time Lecturer | part - 1

हिन्दू विवाह अधिनियम का क्षेत्र

यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। क्षेत्र से तात्पर्य विधि की भारत संघ के केन्द्रीय एवं राज्य प्रदेशो की भौगोलिक सीमाओ मे व्याप्ति से है। जम्मु कश्मीर राज्य मे सन 1955 मे हिन्दु विवाह अधिनियम की कुछ धाराओ के रद्दोबदल के साथ स्थानीय अधिनियम लागू किया गया, जिसे केन्द्रीय हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 का स्थानीय प्रतिरूप कहा जा सकता है। भारत संघ के अंतर्गत क्षेत्र मे केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी एवं दादरा नगर हवेली मे यह अधिनियम क्रमशः 1963 एवं 1965 मे विस्तारित किया गया।

उपरोक्त मन्तर्देशीय क्षेत्र के अलावा अधिनियम भारत के अधिवासी सभी हिन्दुओ पर भी लागु होता है। यदि कोई व्यक्ति आजीविका के उद्देश्य से भारत के बाहर रहता है और भारत मे उसका स्थायी घर है तो वह व्यक्ति अधिवासी माना जाएगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानो से शासित होगा। यदि कोई व्यकित भारतीय नागरिक नही है किन्तु वह हिन्दु है तथा भारत मे अधिवास करता है तो भी उस पर हिन्दु विवाह अधिनियम लागू होगा। प्रेम सिंह ब. दुलारी बाई वाले मामले मे कलकत्ता उच्च न्यायलय का मत था कि यदि पक्षकारो का विवाह हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ है और वे दोनो हिन्दु है तो भारत मे अधिवासी होने पर हिन्दु विवाह अधिनियम लागू होगा भले ही वे भारत के नागरिक न हो। गौड़ गोपाल राय ब. सिप्रा राय मामले मे पक्षकारो का विवाह हिन्दु रीति रिवाज के साथ हुआ था तथा विवाह के समय गौड़ गोपाल राय ने भारत मे अधिवास प्राप्त कर लिया था। कलकत्ता मे स्थानीय रूप से निवास करने की इच्छा व्यक्त किया, लेकिन वह बाद मे लंदन चला गया तथा वही निवास करने लगा। मुकदमे मे पति उस आधार पर कथन किया गया कि चूँकि वह कलकत्ता से लंदन चला गया है और वहीं निवास करता है अतः उसका वैवाहिक मामला इस अधिनियम के क्षेत्र मे नहीं आता।

Scanned with CamScanner

P-2 R.M.M. Law College Saharsa.

हिन्दू विवाह अधिनियम का क्षेत्र

उच्च न्यायालय कलकत्ता ने दलील को अस्वीकार करते हुए यह अवधारित किया कि विवाह के समय गौड़ गोपालशाह ने भारत का अधिवास (domicile) प्राप्त कर लिया था और स्थायी रूप से कलकत्ता में रहने का वायदा भी किया था। अतः यह मामला अधिनियम के क्षेत्र में आता है।

मैरी कुरियन बनाम टी०डी० जोसेफ के मामले में न्यायमूर्ति पी० सुब्रह्मण्यम पोती एवं न्यायमूर्ति कुमारी जानकी अम्मा क्रिश्चियन वैवाहिक मामलों में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अधीन भारत अधिवासी पर यह मत व्यक्त किया कि यदि कोई अच्छी नौकरी के लालच में विदेश जाता है और अवकाश में अपने देश वापस आता है तथा अपने घर रुकता है तो उसका यह रुकना आकस्मिक नहीं है, बल्कि उस समय वह भारत में निवास करता है। हिन्दु विवाह अधिनियम में दिये गये अधिवास के अर्थ को समझने में उपरोक्त मामला एक नजीर वो सहायक है। यदि कोई हिन्दू विदेश में रहता है और उसका अधिवास भारतीय है तो उस स्थिति में भारत में अधिवासी होने के आधार पर वैवाहिक मामलों के अंतर्गत यह अधिनियम उस पर भी लागू होगा।

The end

Scanned with CamScanner